

The Protection of Women from Domestic Violence (Amendment) Bill, 2025

(Amendment of Sections 5 and 9)-Introduced*

मती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है

कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती स्मिता उदय वाघ : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।